CR | 47 | 2018

बालू बनाम गोकल (3)

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2018	00047 श्यामलाल गुर्जर ... राघवेन्द्र सिंह राणावत -1, G.A	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.1.19	पत्रावली वास्ते आदेश प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई । अपील के विचाराधीन रहते विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने प्राथमिक आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि विचाराधीन अपील में पारित नामांतकरण संख्या 12 दिनांक 15.2.2018 सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, भीलवाड़ा कैम्प ईटडिया द्वारा धारा 135(2) के तहत अविवादित पारित किया गया है जो दोनों पक्षों की विधिवत् जानकारी में है। सहायक भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा पारित आदेश की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष संधारण योग्य नहीं होकर धारा 75 (सी) के तहत भू–प्रबंध अधिकारी के समक्ष अथवा धारा 75 (ई) के तहत आयुक्त भू–प्रबंध के समक्ष ही हो सकती है । विद्वान वकील आपत्तिकर्ता / रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में आगे कथन किया कि भू–प्रबंध कार्य बंद होने पर भू–अभिलेख अधिकारी (जिला कलक्टर) के समक्ष ऐसे नामांतकरणों के विरूद्ध अपील संधारण योग्य है। बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांट द्वारा विवादित आराजियात के संबंध में नियमित वाद भी विचाराधीन है जिसमें पक्षकारों की हित तय होने है । मृतक लादू की विरासत सन् 1986 में सभी कि सहमति से खुली है तथा नियमित वाद दिनांक 26.12.2017 को ही पेश कर दिया गया इसके बावजूद अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 24.4.2018 को भारी मियाद बाहर मिथ्या कथनों के आधार पर पेश की गई है जो चलने योग्य नहीं है । हमनें विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 1 / आपत्तिकर्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस ने हस्तगत अपील सहायक भू–प्रबंध अधिकारी, भीलवाड़ा कैम्प ईटडिया, तहसील शाहपुरा द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 12 दिनांक 15.2.1986 के विरूद्ध प्रस्तुत की है । हम विद्वान अधिवक्ता आपत्तिकर्ता / रेस्पो0 संख्या 1 के इस कथन से सहमत है कि सहायक भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपील की सुनवाई का क्षैत्राधिकार न्यायालय हाजा को न होकर होकर धारा 75 (सी) के तहत भू–प्रबंध अधिकारी के समक्ष अथवा धारा 75 (ई) के तहत आयुक्त भू–प्रबंध को ही है तथा भू–प्रबंध की कार्यवाही बंद होने पर ऐसे आदेशों के विरूद्ध सुनवाई का क्षैत्राधिकार भू–अभिलेख अधिकारी की हैसियत से जिला कलक्टर को है । उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलांटस द्वारा सहायक भू–प्रबधं अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 12 निर्णय दिनांक 15.2.1986 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं होने से अपास्त योग्य पायी जाती है । अतः रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2019.02.07 16:30:53 IST
Reason: SelfAttested